निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 231 / 2020 तारीख दायरा 24.12.2020

उनवान

बृजेश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनांक :— 26.02.2021

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम दीगोद पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 222 के खसरा नं0 1218 की 0.15 हैक्टर व खसरा नं0 666 की 016 हैक्टर कुल 2 किता की 0.31 हैक्टर व खाता सं0 नई 223 के खसरा नं0 234 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 235 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 236 की 0.01 खसरा नं0 237 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 244 की 0.20 हैक्टर कुल 5 किता की 0.65 हैक्टर व खाता सं0 नई 224 के खसरा नं0 762 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 763 / 1287 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 769 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 770 की 0.21 हैक्टर कुल 4 किता की 0.77 हैक्टर व खाता सं0 नई 191 के खसरा नं0 763 की 0.04 हैक्टर कुल 1 किता की 0.04 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:12 IST
Reason: SelfAttested

आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का घर का नाम कालू होने से राजस्व रिकार्ड में कालू पुत्र रामचन्द्र अंकित हो रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के अलावा वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की अन्य आराजी मालग्राम दीगोद पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 192 के खसरा नं0 221, 223, 375, 376, 377, 378, 379, 406, 464, 627, 628 कुल 11 किता की 2.49 हैक्टर आराजी एवं खाता सं0 नई 274 की खसरा नं0 319 की 0.65 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का वास्तविक व प्रचलित नाम बृजेश पुत्र रामचन्द्र अंकित हो रहा है। वादी ने यह भी निवेदन किया कि वादी का नाम बचपन में बोलचाल की भाषा में घर परिवार के लोग कालू बोलते थे, जिसके कारण उक्त वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम कालू पुत्र रामचन्द्र अंकित हो गया है, जिससे वादी को अपने हिस्से की आराजियात पर विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है तथा वादी द्वारा पटवारी हलका महोदय से उक्त बचपन के नाम को सही करने के लिए काफी निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही गलत नाम को सही करने की कहकर मना कर दिया है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में उक्त उनवान का वाद प्रस्तुत करके वाद पत्र की मद नं0 1 वर्णित आराजियात में दर्ज बचपन के घर के नाम कालू को दुरस्त करवाकर अन्य आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज सही नाम के अनुसार दुरस्त करवाना आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुए, जिससे तनकीयात कायम किया जना उचित नहीं समझती हूँ तथा वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत दीगोद का प्रमाण व अन्य जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई जिसमें उन्होने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

बहस वकील वादी सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर उक्त वाद को स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया ज[illegible] व आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:12 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम दीगोद पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 222 के खसरा नं0 1218 की 0.15 हैक्टर व खसरा नं0 666 की 016 हैक्टर कुल 2 किता की 0.31 हैक्टर व खाता सं0 नई 223 के खसरा नं0 234 की 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 235 की 0.26 हैक्टर, खसरा नं0 236 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 237 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 244 की 0.20 हैक्टर कुल 5 किता की 0.65 हैक्टर व खाता सं0 नई 224 के खसरा नं0 762 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 763/1287 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 769 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं0

770 की 0.21 हैक्टर कुल 4 किता की 0.77 हैक्टर व खाता सं0 नई 191 के खसरा नं0 763 की 0.04 हैक्टर कुल 1 किता की 0.04 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज बचपन के नाम कालू को दुरस्त किया जाकर बृजेश पुत्र रामचन्द्र दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में कालू के स्थान पर बृजेश इन्द्राज किया जाकर अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति मे बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:44:12 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद